न्यायालय : अनन्य वि ोश न्यायाधी ा, उत्पाद (प्रथम), समस्तीपुर, बिहार

ए0बी0पी0 नं0–1770/2026
चकमेहसी थाना कांड सं0–146/2024
ि ावनाथ सहनी .... आवेदक
बनाम
बिहार सरकार .... विपक्षी।

उपस्थितःबसंत कुमार
वि ोश न्यायाधी ा, उत्पाद (प्रथम)
आदे ा दिनांक 01.07.2026

आवेदक अभियुक्त **1. ि ावनाथ सहनी,** पे0–बुधन सहनी की ओर से चकमेहसी थाना कांड सं0–146/2024, अंतर्गत धारा–281, 125 बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम–2022 के प्रसंग में गिरफ्तारी के भय से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किए हैं जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पक्ष को दी गई है। अभिलेख प्रस्तुत किया गया। वाद पुकारा गया। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। अद्यतन कांड दैनिकी प्राप्त है।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री कुमोद कुमार का कथन है कि आवेदक निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसका उत्पाद वाद में एक आपराधिक इतिहास है। वह अप्राथमिकी अभियुक्त है। उसका नाम सह–अभियुक्त विजय कुमार के स्वीकारोक्ति बयान में आया है। विजय कुमार को माननीय उच्च न्यायालय, पटना से जमानत प्राप्त है। धारा–103 बी.एन.एस.एस. का कोई अनुपालन नहीं हुआ है। उसे पुलिस से गिरफ्तारी का बहुत भय है। वह अग्रिम जमानत के शर्तों को मानने के लिए तैयार है। उसके फरार होने की संभावना नहीं है। अतः अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–76(2) के अंतर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्राथमिकी सूचक संजीव कुमार सिंह, स0अ0नि0 के टंकित आवेदन के आधार पर अन्य नामित व अज्ञात के विरुद्ध चकमेहसी थाना कांड सं0–146/2024, दिनांक 18.09.24, धारा–281, 125 बी.एन.एस. एवं 30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम–2022 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

प्राथमिकी सारांश यह है कि ''सूचक को पुलिस बल के साथ घटनातिथि को रात्रि गश्ती के दौरान समय करीब 01:05 बजे में गुप्त सूचना मिली कि एक उजला रंग का पिकअप गाड़ी बहुत तेजी एवं लापरवाही से बिरौली से सोमनाहा की तरफ आ रहा है।

न्यायालय : अनन्य वि ोश न्यायाधी ।, उत्पाद (प्रथम), समस्तीपुर, बिहार

ए0बी0पी0 नं0—1770/2026
चकमेहसी थाना कांड सं0—146/2024

लगातार

01.07.2026 इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ने पर देखे कि एक पिकअप गाड़ी तेजी एवं लापरवाही से आ रही है जिसे रोकने के लिए बैरियर लगाया। वह बैरियर में धक्का मारते हुए पेड़ से टकरा गया। उसमें से सवार तीन लोग पुलिस द्वारा खदेड़कर पकड़ने के प्रयास के बावजूद अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए। चौकीदार मात्र एक बिट्टू महतो को पहचाना। रात्रि के कारण ग्रामीण नहीं रहने के कारण साथ के पुलिस बल का तलाशी नियमों का पालन करते हुए वाहन पिकअप रजि0 नं0—बीआर33जे—2778 का तलाशी लेने पर विभिन्न ब्रांडों का कुल 871.23 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। जिसकी विधिवत जप्ती—सूची बनाकर वाहन के साथ जप्त किया गया।

आवेदक अप्राथमिकी अभियुक्त है। वह वाद में जप्त वाहन पिकअप रजि0 नं0—बीआर33जे—2778 का चालक है जो काण्ड दैनिकी के कंडिका—72 के अवलोकन से स्पष्ट है। उसके उपर अवैध अंग्रजी शराब रखने, खरीद—बिक्री के उद्देश्य से परिवहन करने में सह—अभियुक्तों के साथ संयुक्त रूप से साथ—साथ रहने का आरोप लगाया गया है। बरामद उक्त वाहन पर से कुल विभिन्न ब्रांडों का 871.23 अवैध विदेशी शराब की जप्त किया गया है जिसकी जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है। बिहार में पूर्ण शराब—बंदी है। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा—76(2) के अंतर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। वाद में अनुसंधान जारी है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है। अतएव अभियुक्त **1. ि ावनाथ सहनी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

विशेष न्याया0, उत्पाद (प्रथम),
समस्तीपुर